

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ----- उपखण्ड अधिकारी ----- मुकाम ----- चिड़ावा -----
 रामकुमार ----- बनाम ----- जुगलाल -----
 किस्म मुकदमात ----- प्रा० पत्र अ० धारा 151 सी०पी०सी० ----- नं. 20 सन् ----- 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए।
-------------	-----------------------------------	--

19.02.21 आज यह प्रार्थना पत्र अ० धारा 151 सी०पी०सी० के तहत बाद पेश हुआ। उपरोक्त उनवानी दावा में अदालत हाजा ने प्रतिवादी 32 व 35 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी०पी०सी० को मन्जूर कर प्रकरण में भूमि खसरा नं० 57 रकबा 0.10 है० मौजा ग्राम गिडानियां के संबंध में दिनांक 18.02.2021 को आदेश पारित किया है। उक्त उनवानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 के आदेश की क्रियान्विति अपील की अवधि तक स्थगित रखे जाने का निवेदन किया है। उनवानी प्रकरण में पारित आदेश चदिनांक 18.02.2021 के आदेश की क्रियान्विति को दिनांक 25.02.2021 तक स्थगित रखी जाती है। अप्रार्थी को दर० जबाब हेतु दिनांक 25.02.2021 का अवसर दिया जाता है। मिसल दिनांक 25.02.2021 को पेश हो।

↓
 उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

25 ²/₂₁

पक्षवली पेश हुई। उनवानी प्रकरण के भारतीय न्यायालय शासक श्रील अधिकारी श्रील के रूप में प्रार्थना पत्र अ० धारा 151 सी०पी०सी० के तहत आदेश पारित हुआ। उनवानी प्रकरण पर चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पर ज्ञाप किया जाता है। पक्षवली के लाल श्रुता है मन्जूर से कर की जाकर 103 तकमील पारता शरवील दस्त है।

↓
 उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

